भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बीकानेर
Project Implementation Unit, Jaipur
सी-38, सादुलगंज, बीकानेर (राजस्थान)- 334002
C-38, Sadul Ganj, Bikaner (Raj.) - 334002

दूरभाष / Phone : 0151-2224477
फैक्स / Fax : 0151-2224077
ई-मेल / E-mail bikaner@nhai.org
nhaibikaner@gmail.com

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

No.13137/1/2018/Forest Clearance (EL)/6776

Date : 16.06.2020

उप वन संरक्षक
जिला जैसलमेर
(राजस्थान)

Sub: Development of Emergency Landing Facility on National Highway No. 11(old NH-15) from Km 229.400 to km 234.400 (old km 194.600 to 199.600) of Jaisalmer- Phalodi Section, in the state of Rajasthan : **Submission of Proposal–reg.**

Ref: पत्र क्रमांक एफ (115) एफ.सी.ए./उवस/2020-21/1441 दिनांक 16/06/2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.06.2020 में उल्लेखित कमियों का स्पष्टीकरण निम्नानुसार प्रषित है :–

S. No.	Forest Dept. Observation	Clarification by NHAI
1	उक्त प्रकरण में प्रारम्भ में सड़क के एलएचएस. में 5 मीटर (from 15 meters upto 20 meter from center line on LHS) व आरएचएस. में 4 मीटर (from 16 meters upto 20 meter from center line on RHS) चौड़ाई में वनभूमि के प्रत्यावर्तन का आवेदन किया गया था, जिसको परिवर्तन कर अब सड़क के एलएचएस में 7.5 मीटर (from 15 meters upto 22.5 meter from center line on LHS) व आरएचएस में 6.5 मीटर (from 16 meters upto 22.5 meter from center line on RHS) चौड़ाई में वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित आरओडब्ल्यू 60 मीटर (upto 30 meter from center line on both side) में सड़क के दोनो साईड में 7.5 मीटर (from 22.5 meters upto 30 meter from center line on both side) चौड़ाई की भूमि भी सम्मिलित है, जिस पर भी पेड़ लगे हुए है। इस भूमि को प्रस्ताव में प्रत्यावर्तन के लिये सम्मिलित नही किया गया है। जबकि यह भूमि रक्षित वन पट्टी का ही हिस्सा है। अतः इस अतिरिक्त भूमि की वैधानिक स्थिति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करे।	फलौदी–जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग का वह भाग जिसमें जैसलमेर जिले में हवाई पट्टी प्रस्तावित है उस का मार्गाधिकार (ROW) 45 मीटर है । पूर्व में सडक चौडीकरण एवं निर्माण के समय दाई तरफ 10 मीटर व बांई तरफ 9 मीटर का वन भूमि प्रत्यावरण 12 मीटर सडक की चौडाई को छोडकर स्वीकृत है (स्वीकृति संलग्न) । वर्तमान प्रस्ताव में बांई तरफ 7.5 मीटर व दांई तरफ 6.5 मीटर चौडाई में वन क्षेत्र का प्रत्यावर्तन प्रस्तावित है । सडक मार्गाधिकार 45 मीटर के पश्चात निजी भूमि है व दोनो तरफ 7.5 मीटर चौडाई का भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है (3 A संलग्न) । अतः 45 मीटर चौडाई के पश्चात निजी भूमि होने के कारण दोनो तरफ 45 मीटर के पश्चात कोई वन प्रत्यावर्तन प्रस्तावित नहीं है ।

Contd..2..

2	उक्त प्रकरण में 12 मीटर (upto 6 meters from center line on both sides) सड़क (blacktop) एवं सड़क के एलएचएस. में 9 मीटर (from 6 meters upto 15 meters from center line on LHS) व RHS में 10 मीटर (from 6 meters upto 16 meters from center line on RHS) चौड़ाई की वनभूमि का पूर्व में प्रत्यावर्तन दर्शाया गया है। चुँकि इस वन भूमि पर भी वर्तमान में पेड लगे हुऐ है। अतः इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें कि क्या उक्त पेडों को काटे जाने की स्वीकृति पूर्व में ली जा चुकी है।	वर्तमान बनी हुई सड़क के लिए पहले एलएचएस में 9 मीटर व आरएचएस में 10 मीटर वनभूमि का प्रत्यार्वतन व इसमें उपस्थित पेडो के कटिंग कि अनुभति ली गई थी), लेकिन सडक् निर्माण के समय आवश्यकतानुसार ही पेड़ काटे गए थे तथा बचे हुये पेड अभी वर्तमान में सड़क के दोनो तरफ प्रत्यावर्तित वन भूमि क्षेत्र में उपस्थित है (संलग्न : वन भूमि प्रत्यावर्तन अनुमति पत्र) ।

अतः आप द्वार प्रेषित आक्षेप में किसी प्रकार की पूर्ती की आवश्यकता नहीं है ।

उक्त परियोजना देश की सामरिक दृष्टी से राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है जिस का निर्माण निर्धारित समयावधी में पूर्ण होना वांछनीय है । अतः प्रेषित प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही कर अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेसित करने का श्रम करें ।

भवदीय,

परियोजना निदेशक/Project Director
भाराराप्रा प.का.ई. बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner

Encl : As above.

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/06/19/2014/एफ.सी./931

दिनॉक: 21-10-15

सेवा में,
प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय: **Widening and Upgradation of Falaudi-Jaisalmer Section of Existing NH-15 from Ki 163.400 to 323.857Km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jodhpur ai Jaisalmer Forest Division (Applied Forest area- Forest division Jodhpur 74.118 ha. ai Jaisalmer Forest Division 221.615 ha.)**

संदर्भ–अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक– एफ14()2014/वसु/प्रमवसं/6134, दिनांक–10.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अति0 सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(68)वन/2014, दिनॉक: 16.10.2014 आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसख्यक पत्र दिनांक–23.07.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की ग थी। जिसकी अनुपालन आख्या अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उपरोक्त विषयांकि परियोजना में प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं (वन मण्डल जोधपुर में 2,248 वृक्षों के पातन एवं वन मण्डल जैसलमेर 6,456 वृक्षों के पातन) कुल 8,704 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. वन मण्डल जोधपुर में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित कुल वन क्षेत्र के दुगुने अवनत भूमि अर्थात् 148.36 (74.118x2=148.36) हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उ वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
3. वन मण्डल जैसलमेर में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित कुल वन क्षेत्र के दुगुने अवनत भूमि अर्थात् 443.23 हे0 (221.615x2=443.23) हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाए उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।
6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

P.T.O.

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों / स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से / पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी / पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

10. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

11. प्रस्ताव के पार्ट–।।। में मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर द्वारा लगाई गई शर्त के अनुसार वृक्षों के पुर्नस्थापन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जा चुकी है।

12. प्रयोक्ता अभिकरण को यदि आवश्यक हो तो उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

13. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर आई0आर0सी0 (IRC) के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

15. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

21/10/15

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक, आर0ओ0एच0क्यू0, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302004 राजस्थान को सूचनार्थ।
4. उप वन संरक्षक, जोधपुर वन मण्डल, जोधपुर, राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, जैसलमेर वन मण्डल, जैसलमेर, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, पी0आई0यू0 कैम्प ऑफिस,F-120,जनपथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान–302019
7. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली ।

21/10/15

(अमित मिश्र)

उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

भारराप्रा, पकाई, प्राप्त Receipt No. दिनांक 579 Date 09.12.15 NHAI, PIU, BIKANER

क्रमांकः एफ 14( )2014 / एफसीए / प्रमुवसं / दिनांकः

Mgr(T)SR 9/12

मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर ।

विषयः—वाईडनिंग एण्ड अपग्रेडेशन ऑफ फलौदी—जैसलमेर सेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एनएच 15 फ्रोम किमी. 163.400 टू 323.857 किमी. इन दी स्टेट ऑफ राजस्थानं रिगार्डिन्ग डायवर्जन ऑफ फोरेस्ट लैण्ड इन जोधपुर एण्ड जैसलमेर फोरेस्ट डिवीजन्स (आवेदित वनक्षेत्र वनमण्डल जोधपुर 74.118 है0 तथा वनमण्डल जैसलमेर 221.615 है0)।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 8 बी / राज / 06 / 19 / 2014 / एफसी / 931 दि. 21.10.15 एंव शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक एफ 1(68) वन / 2014 दिनांक 19.11.15 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 295.733 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एंव 8704 वृक्षों के पातन हेतु कुछ शर्तोधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। अतः निम्नांकित शर्तोधीन सम्बन्धित विभाग / संस्था को वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे। साथ ही पालना प्रतिवेदन एवं मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवाई जाएः—

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्रों में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावे।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षैत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें ।

भवदीय,

Sd/-

संलग्नः—उक्तानुसार ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 14( )2014 / एफसीए / प्रमुवसं / 7229-33 दिनांकः 1.12.15

प्रतिलिपि निम्न को भारत सरकार / राज्य सरकार के उक्त पत्रों की प्रतियां सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 1(68) वन / 2014 दिनांक 19.11.15 के क्रम में ।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतियों की प्रतियां एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 19.11.15 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त सं. 2 की पालना अपने स्तर से करने का कष्ट करे।
3. उप वन संरक्षक, जोधपुर / जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ—साथ स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंः—
   (i) मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।
4. Project Director, PIU-Bikaner, PIU Camp, NHAI, F-120, Janpath Shyam Nagar, Jaipur-302019

संलग्नः—उक्तानुसार ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

कमांकः एफ14( )2012/एफसीए/प्रमुवसं/6098 दिनांकः 09-09-2015

कार्यालय–आदेश

जिला जोधपुर एवं जैसलमेर के वनमण्डल कमशः जोधपुर, जैसलमेर में एनएच 15 के सेक्शन फलौदी–जैसलमेर किमी. 163.400 से 200.000 (जोधपुर वनमण्डल) 74.118 है0 तथा किमी 200.00 से किमी. 323.857 तक (जैसलमेर वनमण्डल) 221.615 है0 (कुल 295.615 है0) वनभूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति उक्त मार्ग के वाईडेनिंग तथा अपग्रेडेशन करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8बी/राज/06/19/2014/एफसी/381 दिनांक 23.7.15 द्वारा शर्तोधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने जरिये अपने पत्रांक 11–306/2014– एफसी दि. 7.5.15 द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 52/2015 के संदर्भ में दि. 13.3.2015 को जारी आदेश के कम में दिये गये निर्देशों के अनुसार लिनियर प्रोजेक्ट हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण जिनमें भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा यूजर एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य आवश्यक मदों में राशि जमा करवायी गयी है, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित कर, उसका वन विभाग के पक्ष में अमल–दरामद किया जा चुका हो, उसमें राज्य सरकार के स्तर से कुछ शर्तोधीन वनभूमि में कार्य करने की अनुमति तथा परियोजना से प्रभावित वृक्षों के पातन की स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

चूंकि उक्त परियोजना हेतु वांछित 295.615 है0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा जिसकी शर्तो की पालना हेतु यूजर एजेंसी द्वारा समस्त आवश्यक राशि तदर्थ केम्पा में जमा करवा दी गई है । अतः भारत सरकार के पत्र दिनांक 8.8.14 एवं 7.5.15 एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 12.5.15 के कम में परियोजना हेतु आवश्यक 295.615 है0 वनभूमि के कार्य प्रारम्भ करने एवं (वनमण्डल जोधपुर में 2248 वृक्षों के पातन एवं वनमण्डल जैसलमेर में 6456 वृक्षों के पातन) कुल 8704 वृक्षों के पातन की स्वीकृति निम्न शर्तो पर प्रदान करने की अनुमति जारी करने के आदेश एतद्द्वारा प्रसारित किये जाते है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण (NHAI) द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में दिये गये विवरणानुसार ही उक्त राजमार्ग के अपग्रेडेशन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा ।
2. अपग्रेडेशन एवं सुदृढ़ीकरण से प्रभावित वनक्षेत्र में आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम वृक्षों का तथा अधिकतम प्रस्ताव में उल्लेखित 8704 वृक्षों का ही पातन किया जावेगा ।
3. वृक्षों का पातन वन विभाग के निर्देशन एंव कठोर निगरानी में कराया जायेगा ।
4. वृक्षों के कटान से प्राप्त लकडी मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर द्वारा स्थापित अस्थाई डिपो पर प्रयोक्ता अभिकरण (NHAI) द्वारा जमा करवायी जावेगी।
5. परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।
6. प्रत्यावर्तन हेतु प्रभावित वनभूमि/क्षेत्र का उपयोग प्रस्ताव में उल्लेखित प्रयोजन के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
7. वनभूमि पर मजदूरों आदि के लिए किसी भी प्रकार का कैंप आदि नहीं लगाया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग अथवा वैधानिक संस्था से वैकल्पिक ईंधन का कय करके मजदूर इत्यादि को उपलब्ध करायेगा ।

(डॉ0 एस.एस. चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

...PTO

E/: Office documents/a

क्रमांकः एफ14( )2012 / एफसीए / प्रमुवसं / 6099-6108 दिनांकः 09-09-2015

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई–दिल्ली–110001
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 (उ0प्र0)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राज0, जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर ।
6. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर ।
7. **Project Director, PIU-Bikaner, PIU Camp, NHAI, F-120, Janpath Shyam Nagar, Jaipur-302019** को उनके पत्रांक 143 दि. 18.8.15 के क्रम में।
8. उप वन संरक्षक, जोधपुर / जैसलमेर ।
9. रक्षी पत्रावली ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

E/: Office documents/a

कार्यालय उप वन संरक्षक, जैसलमेर

कमांक:एफ( )उपसं/उवस/2015–16/ 4947 दिनांक 7/9/2015

मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर

विषयः– Widening and Upgradation of Falaudi-Jaisalmer Section of Existing NH-15 from Km.163.400 to 323.857 Km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jodhpur and Jaisalmer Forest Division (Applied Forest area-Forest division Jodhpur 74.118 ha.and Jaisalmer Forest Division 221.615 ha)

संदर्भः– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ14( ) 2014/एफसीए/प्रमुवसं/5544 दिनांक 20.08.2015।

2. परियोजना निदेशक प.का.ई., बीकानेर का पत्र कमांक No11004/2/2015/Phalodi-Jaislmer/Forest/170 Date 03/09/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रासंगिक पत्रों के क्रम में निवेदन हैं कि Widening and Upgradation of Falaudi-Jaisalmer Section of Existing NH-15 from Km.163.400 to 323.857 Km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jodhpur and Jaisalmer Forest Division (Applied Forest area-Forest division Jodhpur 74.118 ha.and Jaisalmer Forest Division 221.615 ha) हेतु इस वन मण्डल की 221.615 हैक्टर वन भूमि व 6456 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार इस कार्यालय की मांग अनुसार (पूर्व दर अनुसार) यूजर एजेसी द्वारा राशि जमा करवाई गई थी।

राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों का संशोधन पत्रांक प. 1(357) वन/97– पार्ट दिनांक 12.08.2015 द्वारा की गई हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या (1) के अनुकम में इस कार्यालय द्वारा अपने पत्र कमांक 4817 दिनांक 02.09.2015 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार राशि जमा करवाने हेतु लिखा गया था। परियोजना निदेशक प.का.ई. बीकानेर ने उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या (2) से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा संशोधित राशि अनुसार अन्तर राशि के मांग पत्र अनुसार अन्तर/शेष राशि 61,07,266/– जमा करवा दी गई है। (प्रति संलग्न है)

रिपोर्ट सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीया,

(हस्ताक्षर)
(डॉ. ख्याति माथुर)
उप वन संरक्षक
जैसलमेर

कमांक:एफ( )तकनिकी/उवस/2015–16/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है–

1 अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर को उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या (1) के अनुकम में।

2. परियोजना निदेशक प.का.ई. बीकानेर को उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या (2) के अनुकम में।

(डॉ. ख्याति माथुर)
उप वन संरक्षक
जैसलमेर

कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर

पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने, नजदीक लोकसदेल फोन नं: 0291–2636753

क्रमांक: एफ ( ) तक / FCA / उवसं / 2015–16 / 7533 दिनांक– 12-8-15

मुख्य वन संरक्षक,
जोधपुर

13-8-15

4434

विषयः– Widening and Upgrading of Phalodi-Jaisalmer section of existing NH-15 from km 163.400 to 200.00 km in the state of Rajasthan regarding diversion of land in Jodhpur and Jaisalmer Forest Diversion (Applied Forest area – Forest Division Jodhpur – 74.110 ha.)

प्रसंगः– उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ पत्रांक 8बी / राज. / 06 / 19 / 2015 / एफ.सी. / 381 दिनांक 23.07.2015 एवं अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी(FCA) राज. जयपुर का पत्रांक एफ14( )2014 / FCA/ 4790–92 दिनांक 27.07.2015

FCA
13/8

महोदय

उपरोक्त विषयांकित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रसांगिक पत्र द्वारा जोधपुर वन मण्डल में स्थित वन भूमि – 74.116 हे. के प्रत्यावर्तन एवं उसमें स्थित 2248 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई हैं। इस सम्बन्ध में परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प.का.ई. बीकानेर ने उनके पत्रांक 125 दिनांक 04.08.2015 द्वारा वन मंडल जोधपुर से सम्बन्धित सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं अतः निम्नानुसार पालना रिपोर्ट वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् को मय संलग्न प्रेषित हैं :–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. वन मण्डल जोधपुर में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित कुल वनक्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 74.118 हैक्टेयर का दुगुना 148.236 Say 148.360 हैक्टेयर पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 1.08 लाख रूपये प्रति हैक्टर की दर से 1,60,22,880 /– तदर्थ निकास के लेखा संख्या 037100101025225 IFSC : CORP0000371 दिनांक 04.08.2015 द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक नई दिल्ली लोधी कॉम्पलेक्स में जमा करवा दी गई हैं। (प्रति संलग्न)
3. शर्त संख्या तीन वन मंडल जैसलमेर से सम्बन्धित हैं।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के (रिट पिटीशन सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार का पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 6.26 लाख प्रति हैक्टर से प्रत्यावर्तित वन भूमि 74.118 की कुल राशि 4,63,97,868 /– रू. प्रतिपूर्ति पौधारोपण विधि प्रबंधन तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ निकास के लेखा संख्या 037100101025225 IFSC : CORP0000371 दिनांक 04.08.2015 द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक नई दिल्ली लोधी कॉम्पलेक्स में जमा करवा दी गई हैं। (प्रति संलग्न)

(निरन्तर)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY PART-II, SECTION 3, SUB SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, Dated the 2019

S.O................ (E).- In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / two-laning with paved shoulders etc.), maintenance, management and operation of Development on National Highway No.15 (New N.H. No.-11) from Km 200+00 to Km 268+00 (Phalodi to Jaisalmer Section) in the district of Jaisalmer in the State of Rajasthan hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Jaisalmer in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

21/01/2020

उपखण्ड अधिकारी
पोकरण,जिला जैसलमेर

SCHEDULE

Breif description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km 162+00 to Km 200+00 on the National Highway No. 15(New NH. No.- 11) (Phalodi to Jaisalmer Section) in the District Jaisalmer in the Sate of Rajasthan :-

Sr. No.	Name of District	Name of Taluk	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Acquired Land Area (in hact.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jaisalmer	Pokran	Eka	54	Private	Barani IV	0.9079
2				462/54	Private	Barani IV	0.0889
	Total Area of Village						0.9968

21/01/20
पटवारी, रामदवरा
तहसील-पोकरण

Certified on report of Patwari

21.01.2020
तहसीलदार
पोकरण

C.S.
21/01/2020
उपखण्ड अधिकारी
पोकरण,जिला जैसलमेर

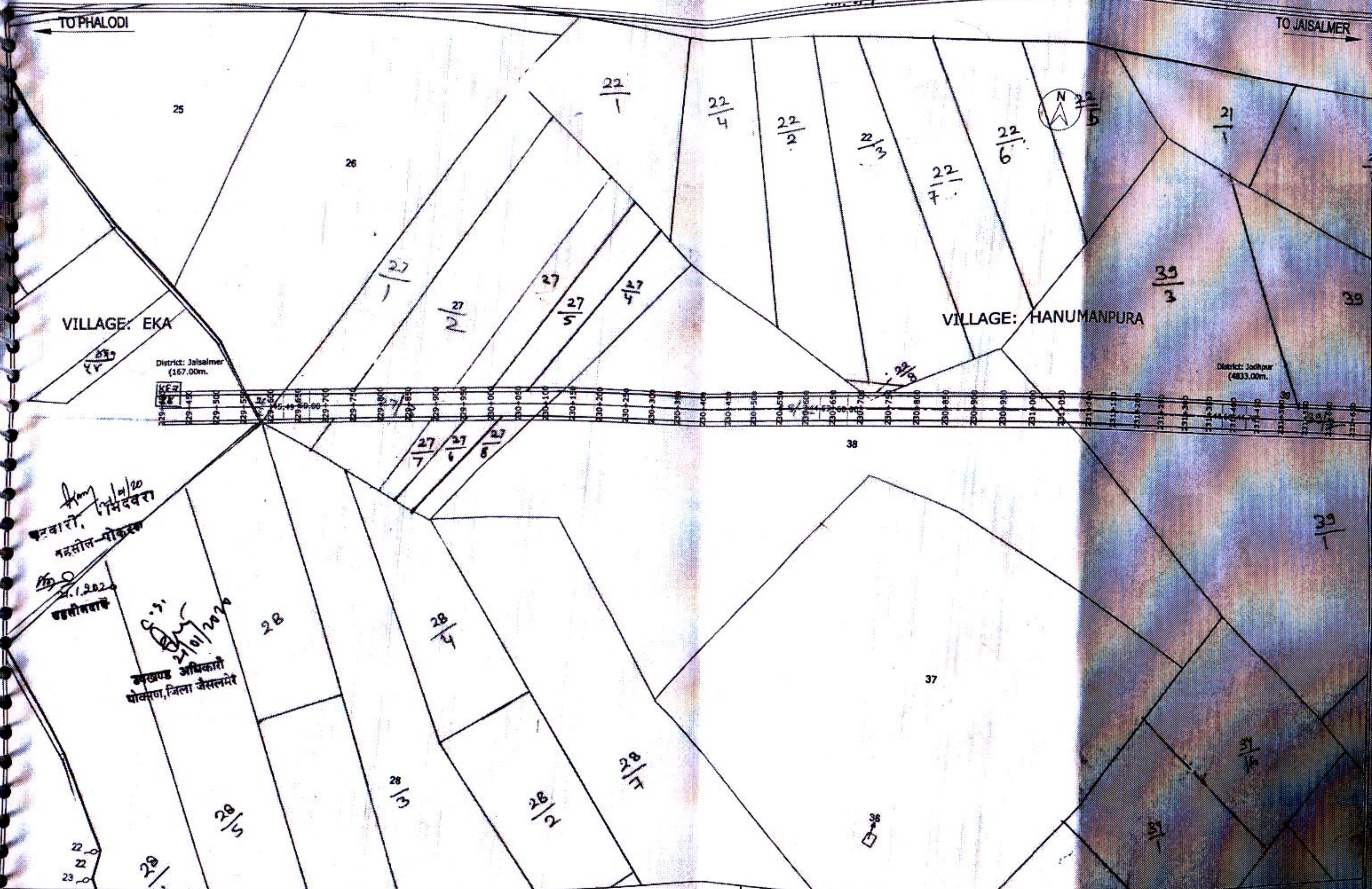

EXISTING CENTER LINE	PROJECT:	CONSULTANT:	CLIENT:	Drawn By: KC YADAV	TITLE: LAND ACQUISITION PLAN
PROPOSED CENTER LINE	DEVELOPMENT OF EMERGENCY LANDING FACILITIES ON NATIONAL HIGHWAYS PHALODI - JAISALMER NH-11(OLD NH-15) LOCATION FROM KM229+400 TO KM234+400	Theme Engineering Services Pvt. Ltd. Jaipur (Raj.)	National Highways Authority of India	Designed By: R. SANKHLA	
PROPOSED ROW				Checked By:	
EXISTING ROW				Approved By:	
VILLAGE BOUNDARY				SCALE: 1cm=83.36m	DWG NO.: 01